पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning of Co-Curricular Activities)

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रिया-कलापों से है, जो छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करने तथा शिक्षा के पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है। इस सम्बन्ध में प्रो० पठान ने इन क्रियाओं को परिभाषित करते हुये लिखा है, "पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से तात्पर्य उन छात्र-क्रियाओं से है, जिनमें छात्र अध्यापक के मार्गदर्शन में कुछ उत्तरदायित्वों को सुनियोजित विधि से सम्पन्न करने के लिये भाग लेते हैं।"

"Co-curricular activities constitute, significant component of a programme of student activities in which the students participate under the guidance of the teacher, assuming the responsibilities for planning their activities."

—Prof. Pathan

सहगामी क्रियाओं का महत्व
(Importance of Co-curricular Activities)

विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन क्रियाओं के महत्व को नीचे लिखे बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है—

(अ) छात्रों के लिये

(1) मूलप्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गान्तरीकरण करती हैं।
(2) सामाजिक भावना का विकास करती हैं।
(3) नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती हैं।
(4) अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाती हैं।
(5) व्यक्तित्व तथा अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करती हैं।
(6) नैतिकता का विकास करती हैं।
(7) अनुशासन-स्थापना में सहायक होती हैं।
(8) मानवीय गुणों का विकास करती हैं।
(9) मनोरंजन के स्वस्थ साधन जुटाती हैं।
(10) व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती हैं।

Scanned with CamScanner

(ब) विद्यालय के लिये

(1) शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं।

(2) विद्यालय के वातावरण को आकर्षक तथा ओजपूर्ण बनाती हैं।

(3) विद्यालय को समाज के निकट लाती हैं।

(4) शिक्षण को सरस तथा प्रभावी बनाती हैं।

(5) छात्रों की अन्तर्निहित शक्तियों की पहचान करने में सहायक होती हैं।

(स) समाज एवं राष्ट्र के लिये

(1) समाज को सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा देती हैं।

(2) सामाजिक मूल्यों का विकास करती हैं।

(3) देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाती हैं।

(4) जागरूकता तथा सजगता का पाठ पढ़ाती हैं।

(5) प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास करती हैं।

(6) नेतृत्व गुणों का विकास कर समाज व राष्ट्र को कुशल नेता प्रदान करती हैं।

सहगामी क्रियाओं के प्रकार

किसी विद्यालय में अनेकानेक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विकास किया जा सकता है। इन सभी प्रकार की क्रियाओं को निम्नांकित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(1) शैक्षिक क्रियायें—साहित्य परिषद्, विज्ञान-कला क्लब, भूगोल परिषद्, वाणिज्य-परिषद् आदि।

(2) शारीरिक क्रियायें—सामूहिक खेल, परेड, ड्रिल, तैरना, साईकिल चलाना, नाव चलाना, एन० सी० सी० आदि।

(3) साहित्यिक क्रियायें—साहित्य सभा, वाद-विवाद परिषद्, पत्रिका-प्रकाशन, बुलेटिन बोर्ड, दीवार-पत्रिका आदि।

(4) नागरिकता प्रशिक्षण सम्बन्धी क्रियायें—सहकारी भण्डार, बाल-बैंक, श्रमदान, बाल-सभा, स्वशासन, संसद आदि।

(5) संगीत तथा कला क्रियायें—संगीत-गोष्ठी, कवि-सम्मेलन, चित्रकला- प्रतियोगिता, विद्यालय-बैण्ड, नृत्य आदि।

(6) शिल्प-कला क्रियायें—सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मेंहदी रचना, खिलौना बनाना, जिल्दसाज़ी, रेडियो बनाना या अन्य सामान्य उपकरण बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना आदि।

(7) सामान्य क्रियायें—भ्रमण, पिकनिक, ग्राम्य-पर्यवेक्षण, बालचर, स्काउटिंग, प्रौढ़-शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि।

(8) अन्य क्रियायें—टिकट या सिक्के संग्रह, फोटोग्राफी, एलबम बनाना, संग्रहालय बनाना, सफाई एवं स्वच्छता अभियान आदि।

Scanned with CamScanner

पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का महत्व
(Importance of Co-curricular Activities)

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की अधोलिखित विशेषतायें होती हैं—

1. वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक (Statisfying Individual Needs)—प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के द्वारा अस्वीकार किये जाने की एक मूलभूत आवश्यकता रखता है इसके साथ ही वह सुरक्षा भी चाहता है। सुरक्षा की भावना यह अपेक्षा करती है कि समाज द्वारा उसको आश्वासन प्राप्त हो। छात्र-क्रियाओं का कार्यक्रम इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त आत्म-अभिव्यक्ति, स्वयं को तथा दूसररों को जानने की समझदारी, स्वयं की रुचियों को व्यापक बनाने, स्वयं के कार्यों को नियन्त्रित करने की शक्ति तथा नवीन परिस्थितियों पर व्यवस्थित होने की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

2. सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक (Fulfilling Social Needs)—सामाजिक आवश्यकतायें इन वैयक्तिक आवश्यकताओं में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। सामाजिक (Social) शब्द का उपयोग दूसरों के साथ सन्तोषजनक सम्बन्ध विकसित करने की भावना से किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ कार्य करने तथा सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता को विकसित करने की तीव्र भावना का अनुभव करता है। यह आवश्यकता उसको कुछ आचार-विचार, समझदारी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की स्वीकृत ढंगों को सिखाने के लिये बाध्य करती है। छात्र-क्रियायें व्यक्ति को नेतृत्व करने एवं अनुशासन में रहने की शक्ति तथा सामाजिक संघर्षों को दूर करने की योग्यता भी प्रदान करती है।

3. नागरिकता का प्रशिक्षण (Training for Citizenship)—छात्र क्रियाओं का कार्यक्रम बालकों को वास्तविक स्थितियों का सामना करने तथा समुदाय की सेवा स्वतन्त्र निर्णय करने के लिये बहुत अवसर प्रदान करता है। उसके अतिरिक्त यह उनमें लोकतन्त्रीय नागरिकता का भी विकास करता है। इन क्रियाओं के द्वारा बालकों में विभिन्न नागरिक कुशलताओं एवं आदतों का विकास होता हैं तथा उनको व्यावहारिक रूप से नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अत: छात्र-क्रियाओं से बालकों में उन गुणों-नेतृत्व, उत्तरदायित्वपूर्ण की क्षमता, दूसरे के अधिकारों को आदर की दृष्टि से देखने की भावना, सामाजिक प्रगति के लिये उत्साह तथा कार्य क्षमता, दूसरों के कल्याण की भावना आदि-को विकसित किया जाता है जोकि कुशल लोकतन्त्रीय नागरिकता के आवश्यक तत्व हैं।

4. किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति (Satisfying Adoloscent Needs)—यह अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। इस अवस्था में अतिरिक्त शक्ति की अधिकता पाई जाती हैं इन क्रियाओं के द्वारा उसकी अतिरिक्त शक्ति एवं मूल प्रवृत्तियों को उनके सामाजिक व्यक्तित्व के विकास एवं समृद्धि के लिये विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जाता हैं और विद्यालय में क्लबों एवं संगठनों के माध्यम से किशोरावस्था की बौद्धिक व संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनका सामाजिक एवं नैतिक विकास किया जाता है।

5. शारीरिक विकास (Physical Development)—विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं द्वारा बालक सक्रिय एवं शक्तिशाली बनता है। खेल-कूद, ड्रिल, व्यायाम आदि से उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है तथा मांसपेशियाँ सबल होती हैं।

Scanned with CamScanner

6. नैतिक गुणों का विकास (Development of Moral Values)—इन क्रियाओं में, भाग लेने से बालकों में सत्यता, ईमानदारी, आत्म-विश्वास, न्यायप्रियता, धैर्य-दृढ़ता, विनय आज्ञा-पालन आदि गुणों का विकास होता है जो अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। बालक इन क्रियाओं में भाग लेकर अपने स्वार्थ को दूसरों के हित लिये त्यागना सीख जाता है जिससे नैतिक गुणों का विकास होता है।

7. विशेष रुचियों का विकास (Developing of Specific Interests)—विभिन्न प्रकार की क्रियायें बालकों में विशेष रुचियों के उत्पन्न करने में भी बहुत सहायक है। विद्यालय में संगठित विविध उद्देशीय समितियाँ एवं क्रियायें बालकों में सम्भावित गुणों (Potentials), व्यावसायिक कुशलताओं एवं साहित्य रुचियों आदि का विकास करती है। ये विभिन्न कुशलतायें बालक के भावी जीवन को समृद्ध एवं सफल बनाने में बहुत सहायक होती हैं। इन क्रियाओं द्वारा बालकों के प्रिय-कार्यों (Hobbies) के विकास के लिये विभिन्न अवसर प्रदान किये जाते हैं। ये 'प्रिय-कार्यों' बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने में सहायक होती हैं।

8. अनुशासन के अनुरक्षण में सहायक (Maintaining Discipline)—छात्र-क्रियाओं से विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता मिलती है। इनके माध्यम से बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं व गुणों की स्वीकृति विद्यालय अनुशासन की समस्या का बहुत महत्वपूर्ण समाधान है कार्य की संलग्नता उनको विभिन्न गलत आदतों एवं कार्यों में फँसने से बचाती ही नहीं वरन् उनको अपने वैयक्तिक गुणों एवं क्षमताओं तथा आत्म-विश्वास के विकास के लिये अवसर प्रदान करती है।

Scanned with CamScanner

...देकर सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान किये जाते हैं, सहगामी [illegible] का अभिन्न अंग हैं। सहगामी क्रियाओं से देश ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, सहानुभूति, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, स्वरोजगार और विश्व शान्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित होता है।

◆◆◆

प्रश्न 7. सहगामी-क्रियाओं के संगठन से संबंधित सिद्धान्त क्या है?

(What are the principles underlying Organization of Co-curricular Activities)

उत्तर–सहगामी क्रियाओं के संगठन से संबंधित सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

(i) पाठ्यक्रम और सहायक क्रियाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों विद्यालय के कार्यक्रम का अभिन्न अंग हैं।

(ii) रचनात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) अध्यापकों, अभिभावकों, समुदायों अथवा प्रवर्त्तक संस्थाओं (Sponsoring organization) द्वारा विद्यार्थियों को इन क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए उन पर अपना दबाव नहीं डालना चाहिए।

(iv) यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इन क्रियाओं का विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

(v) सभी गतिविधियाँ छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा इच्छाओं के अनुरूप तथा अनुकूल हों।

(vi) छात्रों को अपनी इच्छा की गतिविधियाँ चुनने का अधिकार हो। उन पर ये थोपी नहीं जानी चाहिए।

(vii) विद्यार्थियों को इनमें सीमित परन्तु पूरे मन तथा उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(viii) विद्यार्थियों को केवल उन्हीं गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए जो उनके वास्तविक उद्देश्य शिक्षण में कोई बाधा न डालती हों।

(ix) इन गतिविधियों में वैविध्य, विशालता तथा असीमता होनी जरूरी है।

(x) गतिविधियाँ ऐसी न हों जो साध्य न होकर केवल साधन मात्र हो।

(xi) जिन गतिविधियों का शिक्षा में ज्यादा महत्त्व हो उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(xii) यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी गतिविधि ऐसी न हो जो छात्रों की योग्यता से बाहर आती हो।

(xiii) इन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए लोकतन्त्रात्मक विधि को अपनाना चाहिए।

(xiv) विद्यार्थियों को केवल उन गतिविधियों के प्रति प्रेरित करना चाहिए जो उनके अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा न डालती हों।

(xv) विद्यार्थियों को अपनी नियमित पढ़ाई के काम के साथ इन सहायक क्रियाओं में अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।

(xvi) इन सहायक क्रियाओं में पेश की गई सभी बातों का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए।

(xvii) विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्त्व तथा अनुसरण अनुभव कराने चाहिए।

(xviii) जितनी भी सहायक क्रियाएं में छात्र हिस्सा लेते हैं उन सभी में शिक्षात्मक उद्देश्य होना चाहिए।

(xix) सहायक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए।

(xx) यह सभी क्रियाएँ विद्यालय प्रांगण में ही होनी चाहिएं। अगर इन्हें विद्यालय से बाहर आयोजित करने की अनुमति अधिकारियों से मिल जाती है तो इन्हें विद्यालय से बाहर भी आयोजित किया जा सकता है।

(xxi) इन क्रियाओं को चलाने का श्रेय अध्यापकों को मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अध्यापक इन क्रियाओं को चलाता है उन्हें अतिरिक्त श्रेय मिलना चाहिए।

(xxii) इन क्रियाओं की व्यवस्था विद्यालय के लिए निर्धारित समय के दौरान होनी चाहिए।

(xxiii) गतिविधियों के सम्पूर्ण संचालन के लिए समय और स्थान की अत्यन्त आवश्यकता है। विद्यालय समय के पश्चात् कुछ बाह्य खेलों का प्रबन्ध हो सकता है। नियमित समय-सारणी के अन्तर्गत कुछ गतिविधियाँ सम्मिलित की जा सकती है।

(xxiv) उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का किसी न किसी गतिविधि में सम्मिलित होना जरूरी है जिसके लिए उसे अध्यापक तथा मुख्याध्यापक की ओर से प्रेरित किया जाना अत्यन्त जरूरी है। यह प्रेरणा उसे निम्नलिखित तरीकों से दी जा सकती है:—

(क) विद्यार्थियों को, किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले, उसके लाभों के विषय में बता दिया जाना चाहिए।

(ख) प्रत्येक गतिविधि का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को पहले ही बता देना चाहिए ताकि उन लक्ष्यों को आगे रख कर संगठन अपना कार्य करे। विद्यार्थी स्वयं अपनी कठिनाइयों का समाधान ढूंढ़कर अग्रसर होने चाहिए।

(ग) जब भी कोई नया बच्चा विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेता है उसे विद्यालय की समस्त गतिविधियों से परिचित करवाया जाना चाहिए और उसे अपनी पसन्द की गतिविधि चुनने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(घ) इन समस्त गतिविधियों का महत्त्व बतलाकर उसका प्रबन्ध खुद विद्यार्थियों पर छोड़ दिया जाने चाहिए। इसके लिए छात्र में स्वयं ही प्रेरणा आनी चाहिए, उन्हें हर बात के लिए अध्यापक वर्ग पर निर्भर नहीं करना चाहिए।

(xxv) इन गतिविधियों का प्रबन्ध केवल एक दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए अपितु इस पर गम्भीरतापूर्वक काम किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(xxvi) अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिए निर्देशक की भूमिका अदा करनी चाहिए तथा केवल उन्हीं गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि तथा अनुभव हो।

(xxvii) सहायक क्रियाओं के संचालन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी क्रियाएँ निर्धारित बजट के अन्दर ही आ जाएं। इन पर व्यर्थ का पैसा खर्च करके संस्था पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए।

(xxviii) जिन गतिविधियों को विद्यालय प्रशासन अपने विद्यालय में शुरू करवाना चाहता है, उनके लिए आवश्यक उपकरण तथा सामग्री पहले से मुहैया करवा लेनी चाहिए।

(xxix) प्रत्येक गतिविधि का संगठन विद्यालय के आदेशों तथा परम्पराओं को मद्देनजर रखकर करना चाहिए।

(xxx) विद्यालय के नए सत्र (New session) की शुरूआत में ही इन गतिविधियों से संबंधित समय-सारणी तथा कलैण्डर का निर्माण कर लेनी चाहिए।

(xxxi) सभी गतिविधियों की योजना बनाने और प्रारम्भ करने पूर्व मुख्यअध्यापक से परामर्श एवं अनमति लेनी चाहिए जिससे गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न आये

Scanned with CamScanner